



**भारतीय प्रतिभूति
और विनिमय बोर्ड
Securities and Exchange
Board of India**

प्रेषण सूचना/Remittance Advice

अटैचमेंट कार्यवाही संख्या 14918(2) & 14919(2) of 2026

Attachment Proceeding No. 14918(2) & 14919(2) of 2026

रिकवरी सर्टिफिकेट नंबर 8858 of 2025/Recovery Certificate No. 8858 of 2025

प्रधान अधिकारी / अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / सीईओ

The Principal Officer / Chairman & Managing Director / CEO

भारत में सभी बैंक और म्यूचुअल फंड/All Banks and Mutual Funds in India

अटैचमेंट कार्यवाही संख्या 14918(2) और 14919(2) (वर्ष 2026) के तहत अटैच की गई राशि का प्रेषण /
Remittance of attached amount under Attachment proceeding no. 14918(2) & 14919(2)
of 2026

1. रिकवरी ऑफिसर ने 13 अगस्त 2025 के रिकवरी सर्टिफिकेट नंबर 8858/2025 के तहत कॉन्टिनेंटल सीड्स एंड केमिकल्स लिमिटेड के मामले में राजेश पाल [डिफॉल्टर] (PAN: PAN-DVGPP1959H) के बैंक खातों को ज़ब्त करने का निर्देश दिया था। यह कार्रवाई कुल बकाया राशि ₹3,72,76,530/- (तीन करोड़ बहत्तर लाख छिहत्तर हजार पाँच सौ तीस रुपये) (अतिरिक्त ब्याज, सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों आदि सहित) की वसूली के लिए की गई थी।	1. Recovery Officer vide the subject attachment proceedings in Recovery Certificate No. 8858 of 2025 dated August 13, 2025 had directed attachment of Bank accounts of Rajesh Pal [Defaulter] PAN: PAN-DVGPP1959H in the matter of Continental Seeds and Chemicals Limited against the total due of Rs. 3,72,76,530/- (Rupees Three Crore Seventy-Two Lakhs Seventy-Six Thousands Five Hundred Thirty Only) with further interest, all costs, charges and expenses, etc.
2. डिफॉल्टर को 13 अगस्त, 2025 को डिमांड नोटिस भेजा गया है और आपको 19 मई, 2026 को बैंक अकाउंट और म्यूचुअल फंड अटैचमेंट नोटिस जारी किया गया है।	2. Whereas Notice of Demand dated August 13, 2025 has been sent to Defaulter and Notice of Attachment of Bank Account and Mutual Funds dated May 19, 2026 has been issued to you.
3. SEBI को डिफॉल्टरों से जो बकाया राशि/देनदारी वसूलनी है, वह आज की तारीख में ₹ 3,95,02,068.40 (तीन करोड़ पैंचानवे लाख दो हजार अड़सठ और चालीस पैसे फिर्फ) है।	3. And whereas, the current amount of dues/liability to be recovered from the Defaulters by SEBI as on date are amounting to Rs. 3,95,02,068.40/- (Rupees Three Crore Ninety-Five Lakh Two Thousand Sixty-Eight and Forty Paise Only).
4. इसलिए, आपको निर्देश दिया जाता है कि आप अपने बैंक में डिफॉल्टर के खाते में मौजूद बकाया राशि के बराबर रकम / अपने म्यूचुअल फंड में डिफॉल्टर के फोलियो में मौजूद यूनिट्स को ऊपर पैरा 2 में बताई गई बकाया राशि तक भुनाएं (रिडीम करें) और उस रकम को तुरंत SEBI को	4. Accordingly, you are hereby directed to remit the amount in the account of the Defaulter with your Bank / in the folios held by the Defaulter with your Mutual Fund, to the extent of dues mentioned in para 3 above, lying in the account of the

“हम हिन्दी में पत्राचार का स्वागत करते हैं।”

उत्तरी प्रादेशिक कार्यालय : प्लेट-बी, आठवीं मंजिल, ऑफिस टॉवर-1, एन बी सी सी कॉम्प्लेक्स, पूर्व किदवाई नगर, नई दिल्ली-110023
Northern Regional Office : Plate-B, 8th Floor, Office Tower-1, NBCC Complex, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023 दूरभाष (Phone) : 011 - 69012998

प्रधान कार्यालय: सेबी भवन, प्लॉट सं. सी-4 'अ', जी-ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व) मुंबई - 400051 दूरभाष (Phone): 022 - 26449000
Head Office: SEBI Bhavan, Plot No. C-4A, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai - 400051 Web. : www.sebi.gov.in



Continuation Sheet

**भारतीय प्रतिभूति
और विनिमय बोर्ड
Securities and Exchange
Board of India**

EFT/NEFT/RTGS के ज़रिए सीधे क्रेडिट करके भेजें। यह राशि बैंक ऑफ़ इंडिया के अकाउंट नंबर SEBIRRDDSG8858 (IFSC कोड – BKID00VKN04) में भेजी जानी चाहिए। साथ ही, नीचे दिए गए फ़ॉर्मेट में इस पेमेंट की जानकारी rekhav@sebi.gov.in, rajank@sebi.gov.in और recoverynro@sebi.gov.in पर ईमेल करके दें:

1. केस का नाम और रिकवरी सर्टिफ़िकेट नंबर :	
2. पाने वाले का नाम :	
3. भुगतान की तारीख :	
4. भुगतान की गई राशि :	
5. ट्रांज़ैक्शन नंबर :	
6. उस बैंक की जानकारी जहाँ से भुगतान किया गया है :	

5. यह निर्देश SEBI एक्ट, 1992 (जिसे सिक्वोरिटीज लॉज़ (अमेंडमेंट) एक्ट, 2014 द्वारा संशोधित किया गया है) की धारा 28A के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जारी किया गया है। साथ ही, इसमें इनकम-टैक्स एक्ट 1961 (1961 का 43) की धारा 220 से 227, 228A, 229, 232, दूसरी और तीसरी अनुसूचियों और इनकम-टैक्स रूल्स के इनकम-टैक्स (सर्टिफ़िकेट प्रोसीडिंग्स) रूल्स, 1962 का भी पालन किया गया है।

Defaulter(s) with your Bank/Mutual Fund, forthwith to SEBI by way of direct credit through **EFT/NEFT/RTGS to A/c No. SEBIRRDDSG8858 of Bank of India, IFSC code – BKID00VKN04) immediately** and intimate these remittance details by email to rekhav@sebi.gov.in, rajank@sebi.gov.in and recoverynro@sebi.gov.in in the format given below:

1. Case Name and Recovery Certificate Number :	
2. Name of Payee :	
3. Date of Payment:	
4. Amount Paid :	
5. Transaction No. :	
6. Bank Details from which payment is made :	

5. This direction is issued in exercise of powers conferred under section 28A of the SEBI Act, 1992 as amended by the Securities Laws (Amendment) Act, 2014 r/w section 220 to 227, 228A, 229, 232, the Second and Third Schedules to the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) and the Income-tax (Certificate Proceedings) Rules, 1962 of the Income-tax Rules.

नई दिल्ली में आज 24 जून, 2026 को मेरे हस्ताक्षर और मुहर के तहत जारी किया गया।
Given under my hand and seal at New Delhi this 24th day of June, 2026.

मुहर /SEAL



Signed

रिकवरी ऑफ़िसर /RECOVERY OFFICER

राजन कुमार /Rajan Kumar
वसूली अधिकारी एवं उप महाप्रबंधक
Recovery Officer & Deputy General Manager
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
Securities and Exchange Board of India
उत्तरी प्रादेशिक कार्यालय / Northern Regional Office
नई दिल्ली / New Delhi